कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती रजनी सोलंकी, प्रधानाचार्य, राजकीय बालाकी उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 6 एफडी, ख्यालीवाला जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती रजनी सोलंकी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 15049/2019 रजनी सोलंकी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15049/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2019 में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को 30 दिवस में नियमांनुसार व उचित निस्तारण कर सकारण आख्यातमक आदेश प्रसारित करनें के आदेश प्रदान किये गये है।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय के स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप व मधुमेह रोग से पीडित होने एवं अपने पारिवारिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन श्रीडूंगरगढ ब्लॉक में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं एवं उन्हें राज्य सरकार व विभाग द्वारा प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। याचिकार्थी अपने गृह जिले में ही बने रहना चाहती हैं जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर 993 एस.सी 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित **किया** गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व **कहां पदस्थापित** करें। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग **अधिकारपूर्वक नहीं** की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्रीमती रजनी सोलंकी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/रजनी/15049/2019 दिनांकः 20.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, गंगानगर।
5. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्रीमती रजनी सोलंकी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)